सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011(परिपत्र–5)
प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में दिशा–निर्देश

SECC-2011
MOST URGENT
E-MAIL

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–14)

कमांक एफ 2(1)ग्राविवि / SECC / प्रशि0 / 14 / 2011 / पार्ट–4 जयपुर,दिनांक 03.10.2011

परिपत्र–5

जिला कलक्टर एवं
प्रमुख SECC-2011 अधिकारी
समस्त, राजस्थान।

विषयः– सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011(SECC-2011) :– प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन करने के संबंध में।

महोदय,

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011 राज्य में 1 नवम्बर, 2011 से प्रारम्भ की जानी है। जनगणना कार्य की सफलता एवं गुणवत्ता पूर्ण प्रगणना के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम उचित एवं प्रभावी रूप से आयोजित किये जावें। अतः जिला / चार्ज कार्यालय स्तर पर निम्नानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे :–

क. सं.	प्रशिक्षण का स्थान	प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वालों का विवरण	प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जायेगा	प्रशिक्षण की दिनांक	प्रशिक्षण अवधि
1	जिला स्तर पर	• मास्टर ट्रेनरर्स • प्रमुख SECC अधिकारी (जिला कलक्टर) द्वारा मनोनीत जनगणना कार्य में नियोजित जिला स्तरीय अधिकारी / कार्मिक • उपखण्ड अधिकारी • चार्ज अधिकारी	मास्टर ट्रेनर फेसीलेटेटर	3 से 12 अक्टूबर, 2011 के मध्य (प्रमुख SECC-2011 अधिकारी द्वारा निर्धारित की जावेगी।)	तीन दिवसीय
2	चार्ज कार्यालय स्तर पर	• प्रगणक (आरक्षित सहित) • सुपरवाईजर्स (आरक्षित सहित) • सहायक SECC अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा मनोनीत जनगणना कार्य में नियोजित चार्ज कार्यालय स्तरीय अधिकारी / कार्मिक	मास्टर ट्रेनर	13 से 25 अक्टूबर, 2011 के मध्य (प्रमुख SECC-2011 अधिकारी द्वारा निर्धारित की जावेगी।)	दो दिवसीय

(अ) जिला एवं चार्ज कार्यालय स्तर पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम :– ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग एवं स्थानीय निकाय विभाग द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों का अतिक्रमण करते हुये निर्देशित किया जाता है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नानुसार प्रशिक्षार्थियों का भाग लिया जाना सुनिश्चित किया जावे :–

1 **मास्टर ट्रेनर का जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम** :– प्रत्येक ग्रामीण एवं शहरी चार्ज कार्यालय के 2–2 चिह्नित मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेंगे। शेष चिन्हित मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षकों को आरक्षित रखा जायेगा जिससे की प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे मास्टर ट्रेनर के स्थान पर आवश्यकता होने पर रिप्लेस किया जा सके।

2 **प्रगणक एवं सुपरवाईजरों का प्रशिक्षण कार्यक्रम** :– प्रत्येक चार्ज कार्यालय के चिन्हित प्रगणकों एवं सुपरवाईजर्स का चार्ज कार्यालय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा जिसमें 10 प्रतिशत आरक्षित प्रगणक एवं सुपरवाईजर भी भाग लेंगे। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम दो दिवसीय होगा जिसमें प्रथम दिवस प्रगणक एवं सुपरवाईजर एवं द्वितीय दिवस प्रगणको एवं सुपरवाजरों के साथ टेबलेट पी.सी. ऑपरेटर भी भाग लेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम की तिथियाँ एक से अधिक आवश्यकतानुसार फैज में की जावें। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था तहसीलदार द्वारा एवं शहरी क्षेत्रों हेतु आयुक्त, नगर परिषद/अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका द्वारा की जावेगी।

(ब) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में विशेष बिन्दु – प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जावें :–

1 जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रमुख SECC-2011 अधिकारी (जिला कलक्टर) की देखरेख में जिला SECC-2011 अधिकारी की अध्यक्षता में एवं चार्ज कार्यालय स्तर पर सहायक SECC-2011 अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) की देखरेख में चार्ज अधिकारी (तहसीलदार) की अध्यक्षता में आयोजित किये जायेंगे।

2 प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम की अधिकतम बैच साईज 50 से 60 प्रशिक्षणार्थियों का होगा।

3 किसी भी प्रशिक्षण बैच को बनाते समय यह ध्यान रहे की सुपरवाईजरी वृत के सभी प्रगणकों, सुपरवाईजर तथा डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को एक ही बैच में शामिल किया जाये।

4 बडे सिनेमा या थियेटर हॉल में प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिये जहां बहुत से लोगों के बैठने की व्यवस्था हो, क्योकि इससे प्रशिक्षक व प्रशिक्षु में सीधा संपर्क नहीं बन पाता है।

5 प्रशिक्षण की व्यवस्था स्कूल/कॉलेज/अन्य स्थान पर हो सकती है जहां ब्लैक बोर्ड मेजें, कुर्सियां, बिजली का कनेक्शन, पीने का पानी, शौचालय आदि की पहले से ही उपयुक्त व्यवस्था हो।

6 प्रशिक्षण के दौरान दी जाने वाली समस्त सामग्री किट की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

7 विभागीय परिपत्र–3 दिनांक 06.09.2011 के परिशष्ठ–4 के अनुसार किट केवल प्रगणकों एवं सुपरवाईजर्स को ही दी जावेगी। जिला/चार्ज कार्यलय स्तरीय अधिकारियों को संदर्भ सामग्री यथा परिपत्र, प्रस्तुतीकरण की प्रति निर्देशो की पुस्तिका, स्लिप पेड, पैन एवं फोल्डर दिये जा सकते है।

8 प्रगणकों एवं सुपरवाईजरों को दिये जाने वाले टीए/डीए में चाय, भोजन, नास्ते आदि के खर्चों को सम्मिलित कर लिया गया है। अतः किसी भी प्रकार के ऐसे खर्चों का भुगतान नहीं किया जावे इन्हे प्रतिभागियों को ही वहन करना होगा।

9 प्रगणक एवं सुपरवाईजसरों को अधिकतम दो दिवस का टी.ए–डी.ए/प्रशिक्षण भत्ता रूपये 150 प्रतिदिन के अनुसार दिये जायेंगे, जिसका भुगतान प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण होने पर किया जायेगा।

10 जिला स्तर पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जिला अधिकारियों एवं चार्ज कार्यालय के स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहायक SECC अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) एवं चार्ज अधिकारी (तहसीलदार) को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्यक्तिगत रूप से हिस्सा लेवें।

11 प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में संलग्न परिशिष्ठ–1 के अनुसार प्रशिक्षण योजना तैयार की जाकर विभाग को दिनांक को 05.10.2011 तक फैक्स/ई–मेल द्वारा भिजवाया जावे।

(स) प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण :– जिला स्तर एवं चार्ज कार्यालय स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण क्रमशः परिशिष्ट 2 व 3 पर संलग्न है।

(द) मास्टर ट्रेनर फेसिलिटेटर को यात्रा व्यय बिल का भुगतान :– दिनांक 29 सितम्बर से 01 अक्टूबर, 2011 तक इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जयपुर में मास्टर ट्रेनर फेसिलिटेटर का आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के यात्रा व्यय बिल का भुगतान राज्य सरकार के नियमानुसार सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011 हेतु प्राप्त राशि में से जिला स्तर पर किया जायेगा।

(य) प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण :– जिला एवं चार्ज कार्यालय स्तर पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का राज्य स्तर से भी राष्ट्रीय प्रशिक्षकों द्वारा पर्यवेक्षण किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों की समयान्तर्गत पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(सी. एस. राजन)
अति0 मुख्य सचिव एवं नोडल अधिकारी
SECC-2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
4. प्रमुख शासन सचिव, शहरी विकास, आवासन एवं स्वायंत शासन विभाग, जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
6. शासन सचिव, स्वायंत्त शासन विभाग, जयपुर।
7. समस्त संभागीय आयुक्त।
8. निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान, 6–बी, झालाना डुगरी, जयपुर।
9. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता निदेशालय, जयपुर
10. जिला सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011 अधिकारी, समस्त (अतिरिक्त जिला कलक्टर)।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त
12. सहायक जिला सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011,अधिकारी, समस्त (उपखण्ड अधिकारी)।
13. चार्ज अधिकारी सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011, समस्त (तहसीलदार)।
14. गार्ड फाईल।

3/10/11
शासन सचिव
ग्रामीण विकास

परिशिष्ठ–1

सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011 हेतु प्रशिक्षण प्लॉन

जिला ग्रामीण / शहरी

अ. मास्टर ट्रेनर एवं जिला स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण

प्रशिक्षण तिथि	प्रशिक्षण स्थल का पत्र–व्यवहार का पता	प्रशिक्षण प्रभारी का नाम, फोन न. व मोबाईल न.	क्या स्थल पर बिजली का कनेक्शन है ?	बैंच का आकार
1	2	3	4	5

ब. सुपरवाईजरो, प्रगणकों एवं चार्ज स्तरीय अधिकारियों का प्रशिक्षण

प्रभार संख्या एवं नाम	प्रशिक्षण तिथि(या)	प्रशिक्षण स्थल का पत्र–व्यवहार का पता	प्रशिक्षण प्रभारी का नाम, फोन न. व मोबाईल न.	क्या स्थल पर बिजली का कनेक्शन है ?	बैंच का आकार (अधिकतम 50 से 60)
1	2	3	4	5	6

जिला कलक्टर एवं
प्रमुख SECC-2011 अधिकारी के हस्ताक्षर
(दिनांक एवं मोहर सहित)

परिशिष्ट — 2

सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011

मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण कार्यक्रम

दिनांकः.....................

प्रथम दिवस

समय	विषय	संदर्भ व्यक्ति
09.30–10.00	रजिस्ट्रेशन	अतिरिक्त SECC अधिकारी द्वारा मनोनीत कार्मिक
10.00–11.00	उद्घाटन सत्र	जिला कलेक्टर
11.15–1.30	सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना की पृष्ठभूमि	मास्टर ट्रेनर फेसिलिटेटर
2.30–3.45	• सेंन्सस की परिकल्पना एवं परिभाषाए • बिल्डिंग नम्बर, सेन्सस हाउस नम्बर, हाउसहोल्ड नम्बर एवं हाउसहोल्ड का कमांक	मास्टर ट्रेनर फेसिलिटेटर
4.00–5.00	• चार्ज रजिस्टर, संक्षिप्त मकान सूची एवं लेआऊट मेप को अपडेट करना	मास्टर ट्रेनर फेसिलिटेटर
5.00–6.00	प्रगणक एवं सुपरवाईजर के दायित्व एवं कर्त्तव्य	मास्टर ट्रेनर फेसिलिटेटर

चाय–11.00 से 11.15 एवं 3.45 से 4.00 (प्रशिक्षणार्थियों द्वारा स्वयं की जावेगी)
भोजन– 1.30 से 2.30 (प्रशिक्षणार्थियों द्वारा स्वयं की जावेगी)

परिशिष्ट – 2

सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011

मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण कार्यक्रम

दिनांक: ....

द्वितीय दिवस

समय	विषय	संदर्भ व्यक्ति
09.30–10.00	पुनरावलोकन	जिला स्तरीय अधिकारी एवं मास्टर ट्रेनर फेसिलिटेटर
10.00–11.00	**Methodology, Concepts & Definations (ग्रामीण)**	मास्टर ट्रेनर फेसिलिटेटर
11.15–1.00	ग्रामीण प्रश्नावली को भरना • साईड–ए • साईड–बी	मास्टर ट्रेनर फेसिलिटेटर
2.00–3.00	**Methodology, Concepts & Definations (शहरी)**	मास्टर ट्रेनर फेसिलिटेटर
3.00–4.00	• प्रगणक सार को भरना • पावती रसीद को भरना • जनगणना कार्य पूर्ण होने पर स्टीकर लगाना	मास्टर ट्रेनर फेसिलिटेटर
4.15–6.00	धर्म एवं जाति आधारित प्रश्नावली बिन्दु	स्टर ट्रेनर फेसिलिटेटर

चाय–11.00 से 11.15 एवं 4.00 से 4.15 (प्रशिक्षणार्थियों द्वारा स्वयं की जावेगी)

भोजन– 1.00 से 2.00 (प्रशिक्षणार्थियों द्वारा स्वयं की जावेगी)

परिशिष्ट — 2

सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011
मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण कार्यक्रम

दिनांकः ....

तृतीय दिवस

समय	विषय	संदर्भ व्यक्ति
09.30–10.00	पुनरावलोकन	जिला स्तरीय अधिकारी एवं मास्टर ट्रेनर फेसिलिटेटर
10.00–11.15	सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के बिन्दुओं पर क्विज	मास्टर ट्रेनर फेसिलिटेटर
11.30–1.00	टेबलेट पी.सी. का सामान्य परिचय	BEL/वेन्डर के प्रतिनिधि
2.00–3.30	सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के बिन्दुओं पर क्विज	मास्टर ट्रेनर फेसिलिटेटर
3.45–4.30	खुला सत्र	जिला स्तरीय अधिकारी एवं मास्टर ट्रेनर फेसिलिटेटर
4.30–6.00	सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के प्रशासनिक बिन्दुओं पर शंका समाधान एवं समापन	जिला कलक्टर, जिला स्तरीय अधिकारी एवं मास्टर ट्रेनर फेसिलिटेटर

चाय–11.15 से 11.30 एवं 3.30 से 3.45 (प्रशिक्षणार्थियों द्वारा स्वयं की जावेगी)
भोजन– 1.00 से 2.00 (प्रशिक्षणार्थियों द्वारा स्वयं की जावेगी)

परिशिष्ट – 3

सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011
प्रगणक एवं सुपरवाईजर का प्रशिक्षण कार्यक्रम

दिनांकः.....................

प्रथम दिवस

समय	विषय	संदर्भ व्यक्ति
09.30–10.00	रजिस्ट्रेशन	चार्ज कार्यालय द्वारा
10.00–10.30	उद्घाटन सत्र	उपखण्ड अधिकारी
10.30–11.30	• सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना की पृष्ठभूमि • प्रगणक एवं सुपरवाईजर के दायित्व एवं कर्त्तव्य	मास्टर ट्रेनर
11.45–1.30	• सेंन्सस की परिकल्पना एवं परिभाषाए • बिल्डिंग नम्बर, सेन्सस हाउस नम्बर, हाउसहोल्ड नम्बर एवं हाउसहोल्ड का कमांक	मास्टर ट्रेनर
2.30–3.45	• चार्ज रजिस्टर, संक्षिप्त मकान सूची एवं लेआऊट मेप को अपडेट करना	मास्टर ट्रेनर
4.00–5.00	**Methodology, Concepts & Definations** (ग्रामीण)	मास्टर ट्रेनर
5.00–6.00	• प्रगणक सार को भरना • पावती रसीद को भरना • जनगणना कार्य पूर्ण होने पर स्टीकर लगाना	मास्टर ट्रेनर

चाय–11.30 से 11.45 एवं 3.45 से 4.00 (प्रशिक्षणार्थियों द्वारा स्वयं की जावेगी)
भोजन– 1.30 से 2.30 (प्रशिक्षणार्थियों द्वारा स्वयं की जावेगी)

सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना–2011
प्रगणक, सुपरवाईजर एवं टेबलेट पीसी ऑपरेटर का
प्रशिक्षण कार्यक्रम

दिनांकः ....

द्वितीय दिवस

समय	विषय	संदर्भ व्यक्ति
09.30–10.00	पुनरावलोकन	सहायक **SECC** अधिकारी एवं चार्ज अधिकारी
10.00–11.00	टेबलेट पी.सी. का सामान्य परिचय	BEL/वेन्डर के प्रतिनिधि
11.15–1.00	ग्रामीण प्रश्नावली को भरना • साईड–ए • साईड–बी	मास्टर ट्रेनर
2.00–3.00	धर्म एवं जाति आधारित प्रश्नावली बिन्दु	मास्टर ट्रेनर
3.00–4.00	क्विज टेस्ट	चार्ज अधिकारी एवं मास्टर ट्रेनर
4.15–6.00	सामाजिक–आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना के प्रशासनिक बिन्दुओं पर शंका समाधान एवं समापन	उपखण्ड अधिकारी, चार्ज अधिकारी एवं मास्टर ट्रेनर

चाय–11.00 से 11.15 एवं 4.00 से 4.15 (प्रशिक्षणार्थियों द्वारा स्वयं की जावेगी)
भोजन– 1.00 से 2.00 (प्रशिक्षणार्थियों द्वारा स्वयं की जावेगी)